सैमसोनाइट इंटरनैशनल एस.ए.

वैश्विक भ्रष्टाचार विरोधी अनुपालन नीति

परिचय

सैमसोनाइट इंटरनैशनल एस.ए. और इसका प्रत्येक डिवीजन, सहायक कंपनी, संयुक्त उपक्रम और सहयोगी कंपनियाँ (सामूहिक रूप से, "सैमसोनाइट") उच्चतम कानूनी और नैतिक स्तर को ध्यान में रखते हुए अपने व्यवसाय के सभी पहलुओं को चलाने के लिए प्रतिबद्ध है। सैमसोनाइट अपनी ओर से कार्य करने वाले सभी व्यक्तियों से इस प्रतिबद्धता को बनाए रखने की उम्मीद रखता है। रिश्वतखोरी से संबंधित मुद्दों के संदर्भ में इस प्रतिबद्धता को कायम रखने में सैमसोनाइट की सहायता करने के लिए, सैमसोनाइट ने निम्नलिखित वैश्विक भ्रष्टाचार विरोधी नीति (इस "नीति") को बनाकर लागू किया है।

नीति

यह सैमसोनाइट की नीति है कि सभी सैमसोनाइट एसोसिएट्स (जैसा कि नीचे परिभाषित है) सभी लागू भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों, जिनमें यू.एस. फॉरेन करप्ट प्रैक्टिस्ज़ ऐक्ट ("एफ़सीपीए"), यू.के. ब्राइबरी ऐक्ट और अन्य कोई भी भ्रष्टाचार विरोधी कानून जो उन देशों में लागू हों जिनमें सैमसोनाइट के असोसिएट्स कार्यरत हैं, के साथ पूर्ण अनुपालन में अपनी गतिविधियों को अवश्य चलाएँ। ऐसा करने में विफलता सैमसोनाइट की प्रतिष्ठा और इसके कारोबार की सफलता दोनों को संकट में डाल सकती है तथा सैमसोनाइट एवं संबंधित व्यक्तियों दोनों को सिविल और आपराधिक दायित्व में शामिल कर सकता है। अनुपालन को भंग होने से बचाने के लिए एक समान नैतिक व्यवहार को बनाए रखने की आवश्यकता है। **दूसरे शब्दों में, किसी आधिकारिक कर्त्तव्य के अनुचित रूप से किए जाने का प्रतिफल देने या कोई अनुचित व्यापार लाभ प्राप्त करने के लिए किसी को या किसी से मूल्य वाली किसी भी वस्तु का अनुरोध करने, स्वीकार करने, देने या पेशकश करने के जैसे किसी व्यवहार से आपको अवश्य बचना चाहिए**। आगे के पृष्ठ एक इस प्रकार से व्यापार के संचालन के लिए सैमसोनाइट की आवश्यकताओं का वर्णन करते हैं जो कि एफ़सीपीए और यू.के. ब्राइबरी ऐक्ट सहित सभी लागू भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों के अनुरूप हों।

यह नीति किस पर लागू होती है?

यह नीति सभी निदेशकों, अधिकारियों, कर्मचारियों, एजेंटों, प्रतिनिधियों और सैमसोनाइट की ओर से कार्य कर रहे अन्य संबंधित व्यक्तियों (सामूहिक रूप से, "सैमसोनाइट एसोसिएट्स") पर लागू है।

कौन से लेनदेन या अन्य आदान-प्रदान इस नीति के तहत आते हैं?

यह नीति उन सभी आदान-प्रदानों या लेनदेनों के लिए लागू होती है जो कि या तो: क) किसी भी सरकारी कर्मचारी, एजेंटों या साधनों, जिनमें कोई भी सरकार के विभाग या एजेंसियाँ, राजनीतिक दल, कार्यालय के लिए उम्मीदवार, पूरी तरह या आंशिक रूप से सरकारी स्वामित्व वाले कारोबार या इस तरह के कारोबारों के कोई भी कर्मचारी (सामूहिक रूप से, "सरकार ने अधिकारी") शामिल हों; या (ख) इसके विदेशी क्षेत्रों सहित ब्रिटेन के साथ संबंधित हों, जिसमें केमैन आइलैंड्स, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स और बरमूडा ("ब्रिटेन") शामिल हैं, पर जो बस इन तक सीमित नहीं हों।

कृपया ध्यान दें कि, इस नीति की आवश्यकताओं के अलावा, सैमसोनाइट की आचार संहिता कर्मचारियों को कोई भी घूस, अवैध छूट या रिश्वत की पेशकश, माँग या स्वीकार करने से निषेध करती है, भले ही ऐसा व्यवहार सरकारी अधिकारियों को शामिल करे या ब्रिटेन के साथ इसका कोई संबंध हो। सैमसोनाइट एसोसिएट्स के लिए आचार संहिता की आवश्यकताओं के साथ ही इस नीति का अनुपालन करना भी आवश्यक हैं।

इस नीति के लागू होने से संबंधित प्रश्नों के साथ मुझे किसके पास जाना चाहिए?

वे सैमसोनाइट एसोसिएट्स जिनके पास इस नीति या लागू कानून की आवश्यकताओं के विषय में कोई प्रश्न हैं, उन्हें अपने क्षेत्र के सैमसोनाइट कानूनी विभाग या सैमसोनाइट के जेनरल काउनसेल से परामर्श करना चाहिए।

इस नीति के तहत मेरे दायित्व क्या हैं?

सैमसोनाइट एसोसिएट्स कारोबार को बनाए रखने या कोई अनुचित व्यापार लाभ हासिल करने के लिए सैमसोनाइट की सहायता के उद्देश्य से, किसी भी तृतीय पक्ष, जिसमें बिना रोक के कोई भी सरकारी कर्मचारी शामिल हों, को या से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, भुगतान का अनुरोध, स्वीकार नहीं कर सकते या प्रस्ताव नहीं दे सकते या कोई भी मूल्य की वस्तु नहीं दे सकते।

इस नीति का उल्लंघन करने वाले किसी अनुचित भुगतान या अन्य आचरण के लिए किसी अनुरोध या माँग के होने पर इस अनुरोध या माँग तुरंत खारिज कर दिया जाना चाहिए और तुरंत सैमसोनाइट के जेनरल काउनसेल को सूचित किया जाना चाहिए। वैकल्पिक रूप से, सैमसोनाइट की आचार संहिता में वर्णित बिज़नेस एथिक्स रिपोर्टिंग लाइन या वेबसाइट के माध्यम से कर्मचारी, गुप्त रूप से हुए उल्लंघनों है या संदिग्ध उल्लंघनों को रिपोर्ट कर सकते हैं। यह सैमसोनाइट की सख्त नीति है कि भ्रष्टाचार विरोधी कानून या इस नीति के उल्लंघन या संदिग्ध उल्लंघन की रिपोर्टिंग करने पर किसी भी कर्मचारी के विरुद्ध बदले की भावना से रोजगार के प्रतिकूल कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी।

उपहार, आतिथ्य, मनोरंजन और मूल्य की अन्य वस्तुओं के लिए यह नीति किस प्रकार लागू होती है?

यह नीति इस बात को स्वीकार करती है कि विशेष रूप से कुछ देशों में व्यापार के विनम्र आचरण के लिए सैमसोनाइट एसोसिएट्स को व्यापार शिष्टाचार या स्थानीय रिवाज़ के अनुसार अपने समकक्षों को उचित उपहार देने पड़ सकते हैं। इसी तरह, आतिथ्य या मनोरंजन का, किसी भी अनुचित इरादे के बिना, सौहार्दपूर्ण संबंधों को सुदृढ़ बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है। तदनुसार, निम्नलिखित नियम उपहार, आतिथ्य और मनोरंजन के लिए लागू होते हैं:

उपहार

सैमसोनाइट एसोसिएट्स द्वारा <u>दिए गए</u> उपहार

उपहारों पर निम्नलिखित सामान्य दिशा-निर्देश सरकारी अधिकारियों के साथ-ही-साथ ब्रिटेन के साथ जुड़े सभी आदान-प्रदानों या लेनदेनों के लिए लागू होते हैं:

- नकद या नकद समकक्ष किसी भी उपहार अनुमति नहीं है।
- उपहार मूल्य में उचित होना चाहिए।
- उपहार को स्थानीय कानून के तहत अनुमति प्राप्त होनी चाहिए।
- उपहार को, आपकी सर्वोच्च जानकारी के अनुसार, प्राप्तकर्ता के नियोक्ता के दिशा-निर्देशों या नियमों (यदि हों तो) द्वारा स्वीकृत होना चाहिए।
- उपहार को खुले तौर पर तथा पूर्ण पारदर्शिता के साथ दिया जाना चाहिए।
- उपहार को सम्मान, शिष्टाचार या आतिथ्य की वापसी की निशानी के रूप में प्रदान किया जाना चाहिए, और स्थानीय रिवाज़ के अनुरूप होना चाहिए।

सैमसोनाइट एसोसिएट्स द्वारा प्राप्त उपहार

सैमसोनाइट के साथ कारोबार करने वाले या प्रतिस्पर्धा करने वाले किसी भी पार्टी से प्राप्त उपहार जिनका मूल्य 250 अमरीकी डॉलर (या स्थानीय मुद्रा में समतुल्य) से अधिक हो, के बारे में आपके ठीक ऊपर पदस्थ पर्यवेक्षक, के साथ ही आपके क्षेत्र के कानून विभाग या सैमसोनाइट के जेनरल काउनसेल को अवश्य सूचित किया जाना चाहिए।

आतिथ्य और मनोरंजन

उपहार प्रदान करने पर के ऊपर दिए प्रतिबंध, किसी सैमसोनाइट एसोसिएट्स के "साधारण और सामान्य व्यवसाय संबंधी मनोरंजन" में शामिल होने को प्रतिबंधित नहीं करता जब सैमसोनाइट का कोई व्यक्ति किसी कभी-कभार के भोजन, खेल के आयोजन, थिएटर के नाटक या इसी तरह के किसी मनोरंजन के कार्यक्रम में ग्राहकों, संभावित ग्राहकों या अन्य व्यापार सहयोगियों की

मेजबानी कर रहे हों। आयोजन की मेजबानी करने वाले सैमसोनाइट के व्यक्ति को समारोह में उपस्थित होना चाहिए। इसी प्रकार, उपहार प्राप्त करने पर प्रतिबंध सैमसोनाइट एसोसिएट्स द्वारा "साधारण और सामान्य व्यवसाय संबंधी मनोरंजन" को स्वीकार करने में प्रतिबंध नहीं लगाता। सभी मामलों में, मनोरंजन को इतना नियमित या इतना भव्य नहीं होना चाहिए, कि उसके उचित होने पर सवाल उठने लगें।

आतिथ्य और मनोरंजन प्रदान करने पर सामान्य दिशा-निर्देश

- सभी व्यवसाय संबंधी मनोरंजन खर्चों को मूल्य में उचित होना चाहिए। इसमें व्यक्तिगत खर्चे और एक अकेले अधिकारी या संस्था की ओर से भुगतान खर्च की एक श्रृंखला, दोनों शामिल हैं। व्यवसाय संबंधी मनोरंजन को अवसर के अनुरूप भव्य या अनुचित नहीं होना चाहिए।

- व्यवसाय संबंधी मनोरंजन खर्च को स्थानीय कानून के तहत स्वीकृत होना चाहिए।

- व्यवसाय संबंधी मनोरंजन खर्च को, आपकी सर्वोच्च जानकारी के अनुसार, प्राप्तकर्ता के नियोक्ता के दिशा-निर्देशों या नियमों (यदि हों तो) द्वारा स्वीकृत होना चाहिए।

- व्यवसाय संबंधी मनोरंजन खर्चे स्थानीय रिवाज़ तथा रीति के अनुसार होना चाहिए।

- जब संभव हो, व्यवसाय संबंधी मनोरंजन के भुगतान को सीधे सैमसोनाइट द्वारा सेवा प्रदाता को किया जाना चाहिए, और इसे उदाहरण के रूप में, एक प्रतिपूर्ति की तरह, सरकारी अधिकारी के माध्यम से होकर या सरकारी अधिकारी को सीधे देय नहीं होना चाहिए।

- व्यवसाय संबंधी मनोरंजन खर्च के अनुचित प्रतीत होने से बचना चाहिए।

- जब सैमसोनाइट एसोसिएट्स उपस्थित न हों, तब होने वाले आतिथ्य या व्यवसाय से संबंधित मनोरंजन और ऐसे दृष्टांत जिनमें सैमसोनाइट किसी सरकारी अधिकारी के यात्रा से संबंधित खर्च का भुगतान करता है, को "उपहार" माना जाएगा, और ये इस नीति में निर्दिष्ट उपहारों के लिए नियमों और आवश्यकताओं के अधीन रहेंगे।

यात्रा के साथ मनोरंजन को मिला कर प्रदान करने या प्राप्त करने पर सामान्य दिशा-निर्देश

पिछले अनुभाग को सीमित किए बिना, जब भी सैमसोनाइट एसोसिएट्स मनोरंजन के किसी प्रस्ताव को स्वीकर करते हैं या प्रदान करते हैं, जिसमें जिस महानगरीय क्षेत्र में कर्मचारी (या प्राप्तकर्ता) काम करता है उससे बाहर की यात्रा शामिल हो और उसका मूल्य 1,000 अमेरिकी डॉलर या स्थानीय मुद्रा में समतुल्य से अधिक हो, तब अपने ठीक ऊपर पदस्थ पर्यवेक्षक से पूर्व सहमति प्राप्त करना आवश्यक है।

सरकारी अधिकारियों के मनोरंजन पर सामान्य दिशा-निर्देश

सामान्य दिशा-निर्देशों के अधीन, सरकारी अधिकारियों को किसी भी प्रकार का आतिथ्य, मनोरंजन या यात्रा और रहने की सुविधा प्रदान करने के पहले, सभी सैमसोनाइट एसोसिएट्स को अपने क्षेत्र के कानूनी विभाग के साथ या सैमसोनाइट जेनरल काउनसेल से अवश्य परामर्श करना चाहिए।

उत्पाद के नमूने

सरकारी अधिकारियों या सरकारी ग्राहकों को नमूने उपलब्ध कराने पर सामान्य दिशा-निर्देश

सैमसोनाइट एक वाणिज्यिक सेटिंग में मूल्यवान, विभिन्न उत्पादों का निर्माण कर बेचता है। समय-समय पर, सैमसोनाइट संभावित ग्राहकों द्वारा विचार या मूल्यांकन के लिए या अन्य प्रयोजनों के लिए अपने उत्पादों के नमूनों को बना सकता है। जब किसी विदेशी सरकारी एजेंसी या सरकारी अधिकारी द्वारा किसी नमूने का अनुरोध किया जाता है या उन्हें यह दिया जाता है, तब सैमसोनाइट असोसिएट्स सैमसोनाइट द्वारा रखे किन्हीं तृतीय पक्षों (जैसा नीचे वर्णित है) को अवश्य सावधानी बरतनी चाहिए। नमूनों को सीधे सरकारी अधिकारियों के उनके व्यक्तिगत उपयोग के लिए नहीं प्रदान नहीं किया जाना चाहिए। उनके निजी इस्तेमाल के लिए सरकारी अधिकारियों को दिए किसी भी सैमसोनाइट उत्पाद को उपहार माना जाना चाहिए, और ऐसे किसी भी तरह के उपहार के दिए जाने में अन्य रूप से उपहार के लिए लागू इस नीति के प्रावधानों

का पालन किया जाना चाहिए। नमूनों को केवल सरकारी अधिकारियों को दिया जाना चाहिए जहाँ निम्नलिखित में से प्रत्येक दिशा-निर्देश को पूरा किया जाता हो :

- इस तरह के नमूने उपलब्ध कराना, सैमसोनाइट के कारोबार की सामान्य कार्यवाही के अनुसार ही होना चाहिए।

- इस तरह के नमूने उपलब्ध कराना यथोचित रूप से आवश्यक है ताकि सरकारी अधिकारी यह मूल्यांकन कर सकें कि सैमसोनाइट से संबंधित उत्पाद (ओं) की खरीद करें या नहीं, या फिर सरकारी अधिकारी द्वारा अपने आधिकारिक कर्त्तव्यों को पूरा करने के लिए अन्यथा यथोचित रूप से आवश्यक हों (उदाहरण के लिए, सीमा शुल्क अधिकारियों या कानून प्रवर्तन कर्मियों को असली बनाम नकली सैमसोनाइट उत्पादों की पहचान करने में सहायता के लिए)।

- नमूने किसी व्यक्ति या सरकारी अधिकारी को उनके व्यक्तिगत उपयोग के लिए नहीं, परन्तु इकाई (सरकार से संबंधित व्यापार या सरकारी एजेंसी) को प्रदान किए जाते हैं।

- नमूने उपलब्ध कराने को लागू स्थानीय कानून के तहत स्वीकृत होना चाहिए।

- नमूनों के प्रावधान को कंपनी की बहियों और अभिलेखों में सही-सही और उचित रूप से अवश्य दर्ज किया जाना चाहिए।

इंटर्नशिप / रोजगार

अवसरों पर, कंपनी को यह पता चल सकता है कि ग्राहकों या सरकारी अधिकारियों के रिश्तेदार सैमसोनाइट के पास इंटर्नशिप या रोजगार ढूँढ़ रहे हैं।

सैमसोनाइट की पॉलिसी है: (1) सैमसोनाइट एसोसिएट्स किसी ग्राहक या सरकारी अधिकारी को इंटर्नशिप या रोजगार का प्रस्ताव, ग्राहक के या सरकारी अधिकारी के किसी कार्य को प्रभावित करने के लिए नहीं कर सकते हैं; (2) यदि सैमसोनाइट एसोसिएट्स किसी ग्राहक या सरकारी अधिकारी से उनके किसी संबंधी को काम देने के लिए अनुरोध प्राप्त करते हैं तो ऐसे अनुरोध को प्राप्त करने वाले सैमसोनाइट एसोसिएट्स को तुरंत अपने क्षेत्र के कानूनी विभाग से या

सैमसोनाइट के जनरल काउनसेल से अवश्य संपर्क करना चाहिए और उनका परामर्श प्राप्त करना चाहिए; (3) यदि व्यवहारिक रूप से, यह निश्चित किया जाता है कि इंटर्नशिप या रोजगार के लिए विचाराधीन प्रत्याशी किसी ग्राहक या सरकारी अधिकारी का संबंधी है, तो क्षेत्रीय कानूनी विभाग अथवा सैमसोनाइट के जनरल काउनसेल को प्रत्याशी के परिवार (या वह स्थिति जिसके कारण परिवार का सदस्य नियोजित या संबद्ध है) और सैमसोनाइट के बीच का संबंध सूचित किया जाना चाहिए; (4) यदि यह निश्चित किया जाता है कि इंटर्नशिप या रोजगार के लिए विचाराधीन प्रत्याशी किसी ग्राहक या सरकारी अधिकारी का संबंधी है और उसके एक पद को भरने के लिए सामान्य प्रक्रिया के बाहर मूल्यांकन किया जा रहा है तो ऐसे कोई भी इंटर्नशिप या रोज़गार के प्रस्ताव को क्षेत्रीय कानूनी विभाग अथवा सैमसोनाइट के जनरल काउनसेल द्वारा स्वीकृत होना चाहिए।

धर्मार्थ अंशदान

कानून प्रवर्तन प्राधिकारियों का मानना है कि कुछ परिस्थितियों में, धर्मार्थ किया गया दान जो कि सरकार से संबंधित है या अभिज्ञापित है, भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों के उद्देश्य के लिए व्यक्ति को लाभ प्रदान करता है। तदानुसार, उन संगठनों को किए गए दान जिनमें सरकारी अधिकारी या कोई ऐसा व्यक्ति या संस्था जिसे निर्णय लेने की या कंपनी की वाणिज्यिक गतिविधियों को प्रभावित करने की शक्ति प्राप्त है, की भूमिका प्रमुख होती है (उदाहरण के लिए, बोर्ड के एक सदस्य या न्यासी के रूप में), या ऐसे किसी किसी व्यक्ति की आज्ञा अनुसार, भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों और इस नीति के अंतर्गत मामला उठाया जा सकता है। सरकारी अधिकारी के केवल शामिल होने भर से यह अर्थ कदापि नहीं लिया जाएगा कि दान नहीं दिया जाना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि समुचित अनुपालन और कानूनी समीक्षा की जानी चाहिए और अग्रिम रूप से स्वीकृति अवश्य ली जानी चाहिए।

सैमसोनाइट या इसके कर्मचारियों द्वारा उन धर्मार्थ संस्थानों को किए गए दान, जिन्हें सरकारी अधिकारी या किसी ऐसे व्यक्ति या संस्था जिसे सैमसोनाइट की वाणिज्यिक गतिविधियों पर निर्णय लेने या प्रभावित करने की शक्ति है, को क्षेत्रीय कानूनी विभाग अथवा सैमसोनाइट के जनरल काउनसेल द्वारा अग्रिम रूप से स्वीकृत होना चाहिए।

धर्मार्थ दान केवल विधिसम्मत परोपकारी कारणों के लिए अनुमोदित किए जाएँगे जैसे कि मानवता के हितों की रक्षा और सांस्कृतिक या शिक्षा संस्थाओं की सहायता करना। यह उचित होगा कि समाज में सैमसोनाइट के प्रति सामान्य सद्भाव का निर्माण करने की आशा के साथ दान किया जाए। यदि दान का उद्देश्य किसी निर्णय को अनुचित रूप से प्रभावित करता है तो धर्मार्थ दान, दान की राशि चाहे जितनी हो, कभी भी स्वीकृति योग्य नहीं होते।

राजनीतिक अंशदान

राजनीतिक अंशदान के बारे में सैमसोनाइट की नीति सैमसोनाइट की आचार संहिता में आगे दी गई है।

सलाहकारों और अन्य तृतीय पक्षों के लिए समुचित सावधानी

भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों के अनुपालन के प्रति सैमसोनाइट की प्रतिबध्दता का विस्तार सैमसोनाइट के एजेंट्स, सलाहकारों, प्रतिनिधियों और अन्य संबद्ध व्यक्तियों (सामूहिक रूप से "तृतीय पक्ष") तक है जब कि ऐसे तृतीय पक्ष, सैमसोनाइट की ओर से, सरकारी प्राधिकारियों के साथ आदान-प्रदान या लेनदेन में शामिल हैं, या ऐसी आदान-प्रदान या लेनदेन में लगे हैं जिसका संबंध यू.के. से है। सैमसोनाइट एसोसिएट्स को ऐसी किसी भी स्थिति से बचने के प्रति सावधान रहना चाहिए, जिसमें तृतीय पक्ष शामिल हों, जिससे इस नीति या किसी भी लागू भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों का उल्लंघन होता हो। एजेंट्स के ग़ैर-कानूनी और अनुचित कार्यों के गंभीर और हानिकारक परिणाम सैमसोनाइट व इसके कर्मचारियों के लिए हो सकते हैं, अतः हम चाहते हैं कि तृतीय पक्ष इस नीति के सिद्धांतों और सभी लागू कानूनों का पालन करें।

चूंकि सैमसोनाइट का विविध प्रकार के तृतीय पक्षों के साथ व्यवहार होता है, अतः कंपनी एक तृतीय पक्ष को नियुक्त करने से पहले आवश्यक समुचित सावधानी और मूल्यांकन के जोखिम आधारित दृष्टिकोण को अपनाती है। तृतीय पक्षों पर समुचित सावधानी बरतने के बारे में किसी भी प्रश्न के लिए, कृपया, अपने क्षेत्र के कानूनी विभाग से या सैमसोनाइट के जनरल काउनसेल से संपर्क करें।

तृतीय पक्ष संबंधों की, निम्नलिखित श्रेणियों हेतु, भ्रष्टाचार विरोधी संबंधित समुचित सावधानी आवश्यक है:

- तृतीय पक्ष सेवा प्रदाताओं के साथ सभी अनुबंध, जहाँ दी जाने वाली सेवाओं के महत्त्वपूर्ण भाग में बातचीत होनी है या अन्यथा रूप से सीधे सरकारी एजेंसियों या अधिकारियों से संबद्ध है (जैसे, सीमा शुल्क दलाल, कर सलाहकार (अंतर्राष्ट्रीय सेवा प्रदाताओं के अलावा), सरकारी अनुदान प्राप्त करने से संबंधित सलाहकार, आदि)।

- उन सभी बिक्री प्रतिनिधियों या वितरकों के साथ अनुबंध जो सरकारी एजेंसियों या अधिकारियों के साथ बिक्री संबंध बना सकते हैं।

- सभी नए संयुक्त-उद्यम भागीदार

तृतीय पक्ष संबंधों की निम्नलिखित श्रेणियों हेतु भ्रष्टाचार विरोधी समुचित सावधानी सामान्यतः आवश्यक नहीं है:

- अंतर्राष्ट्रीय रूप से मान्य सेवा प्रदाताओं के साथ अनुबंध (कानूनी फर्म्स, लेखा फर्म्स, सलाहाकार फर्म्स, निवेश बैंक, आदि)।

- उन बिक्री प्रतिनिधियों या वितरकों के साथ अनुबंध जिनसे सरकारी अधिकारियों या एजेंसियों के साथ उल्लेखनीय कारोबार किया जाना अपेक्षित नहीं है - जैसे, वे व्यापारी जो सैमसोनाइट उत्पादों को खरीदकर पुनः बेचेंगे, या केवल बेचेंगे।

भ्रष्टाचार जोखिम का मूल्यांकन करते समय, वे “रेड फ्लैग्स” क्या हैं जो संभावित भ्रष्टाचार का संकेत देते हैं?

“रेड फ्लैग्स” ऐसे कुछ कार्य या तथ्य होते हैं जो कि सैमसोनाइट एसोसिएट्स को सतर्क करते हैं कि इस नीति के उल्लंघन की पूरी संभावना हो सकती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई रेड फ्लैग्स हैं तो नहीं, प्रत्येक स्थिति का अलग-अलग मामले के आधार पर मूल्यांकन किया जाना चाहिए। एक रेड फ्लेग होने का अर्थ यह नहीं है कि कुछ ग़ैर-कानूनी हो गया है। यह तो एक संकेत मात्र है कि अतिरिक्त जाँच आवश्यक है। सभी सैमसोनाइट एसोसिएट्स को इन संकेतों के बारे में सचेत रहने चाहिए और किसी भी महत्त्व की बात को क्षेत्रीय कानूनी विभाग अथवा सैमसोनाइट के जनरल काउनसेल के ध्यान में लाएँ।
रेड फ्लैग्स के उदाहरणों में ये शामिल हैं:

- सैमसोनाइट एसोसिएट्स द्वारा चालाई जा रही अनुचित कारोबारी कार्य-प्रणालियों का दोषारोपण
- सैमसोनाइट एसोसिएट्स और सरकारी अधिकारी के बीच पारिवारिक या अन्य संबंध जिससे सरकारी अधिकारी द्वारा लिए निणर्यों पर अनुचित प्रभाव पड़ता हो;
- एक तृतीय पक्ष जिसका किसी सरकारी अधिकारी से संबंध है या उनके द्वारा अनुशंसित है;
- कोई सरकारी अधिकारी या उसका प्रतिनिधि यदि किसी विशिष्ट पक्ष को बनाए रखने की माँग करता है या सुझाव देता है कि इस प्रकार इसे रोके रखने से कारोबार पाना आसान हो जाएगा;
- एक सरकारी अधिकारी या एक ग्राहक की ओर से किसी मित्र/संबंधी के इंटर्नशिप या रोज़गार के लिए अनुरोध;
- शामिल देश की भ्रष्टाचार और रिश्वतख़ोरी के बारे में ख्याति है;
- तृतीय पक्ष नकद भुगतान के लिए या एक भिन्न देश में भुगतान करने का अनुरोध करता है;
- इंवॉइस उचित रूप से दर्ज नहीं किए गए हैं या सामान्य से अधिक राशियों या मात्रा के लिए हैं;
- किसी तृतीय पक्ष पर पूर्व में स्थानीय कानूनों के उल्लंघन के दोष साबित हो चुके हैं या आरोप लगे हैं;
- अनुबंध या निर्णय की घोषणा से पहले सलाहकार का कमीशन प्राप्त करने पर आग्रह;
- अ-निर्दिष्ट सेवाओं या अन्यथा रूप से संदिग्ध सेवाओं हेतु भुगतान;
- ऐसे कमीशन, फीस या बोनस जो दी गई सेवाओं के मूल्य के अनुपात में नहीं हैं (जैसे, “सक्सेस फीस”);

- समझौते के साथ बहुत ख़र्चीले मनोरंजन, उपहार या यात्रा की माँग;
- कोई तृतीय पक्ष लागू कानून या इस नीति का अनुपालन करने के लिए तैयार होने से मना करता है; या
- तृतीय पक्ष द्वारा कहे गए कथन जैसे "मुझे आपके उद्योग का तो कोई अनुभव नहीं हैं, किंतु मैं सही लोगों को जानता हूँ।"

इस नीति का उल्लंघन करने पर क्या दण्ड हैं?

सैमसोनाइट की व्यावसायिक प्रतिष्ठा को जोखिम में डालने के अलावा, भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों का उल्लंघन सैमसोनाइट और सैमसोनाइट एसोसिएट्स दोनों के लिए बहुत अधिक आपराधिक और सिविल दण्डों का कारण बन सकता है। इन दण्डों के अतिरिक्त, इस नीति के उल्लंघन का परिणाम सैमसोनाइट द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही, जिसमें भर्त्सना, निलम्बन या सेवा-समाप्ति शामिल है, हो सकती है। सैमसोनाइट इस नीति के उल्लंघन की सूचना समुचित पर्यवेक्षी, नियामक या कानून प्रवर्तन को भी दे सकता है।

इस नीति के तहत रिकॉर्ड रखने से संबद्ध आवश्यकताएँ क्या हैं?

सैमसोनाइट कर्मचारियों को लेखांकन और वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए द्वारा लागू मानकों, सिद्धांतों, कानूनों और कार्य-प्रणालियों का अवश्य पालन किया जाना चाहिए। विशेष रूप से, सैमसोनाइट एसोसिएट्स को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी भुगतान का कोई भी भाग, किसी भी उद्देश्य से, उससे अलग रूप में न किया जाए, जैसा सैमसोनाइट की बही और रिकॉर्ड में पूर्ण रूप से और सटीकता से वर्णित है। किसी भी उद्देश्य के लिए गोपनीय या अलिखित खाते न बनाए जाएँ। किसी भी कारण से सैमसोनाइट की बहियों और रिकॉर्ड में फ़र्ज़ी या झूठी प्रविष्टियाँ न की जाएँ। सैमसोनाइट एसोसिएट्स यह अवश्य सुनिश्चित करें कि प्रबंधन द्वारा अपेक्षित सभी रिपोर्ट्स और रिकॉर्ड्स नियमित समय पर पूरे हों और संपूर्ण हों। अंत में, व्यक्तिगत राशि का उपयोग सफल होने के लिए न किया जाए जोकि अन्यथा रूप से इस नीति में निषिद्ध है।

इस नीति के अंतर्गत किस प्रकार के कानूनी दस्तावेज़, अभिस्वीकृति और प्रशिक्षण आते हैं?

सैमसोनाइट, सभी सैमसोनाइट एसोसिएट्स को आवधिक अनुस्मारक देगा जिसमें उन्हें इस नीति की बाध्यताओं के बारे में याद दिलाया जाएगा और, उपयुक्त होने पर, सैमसोनाइट एसोसिएट्स को इस नीति में हुए अद्यतन से अवगत कराया जाएगा। क्योंकि यह नीति सैमसोनाइट आचार संहिता का एक भाग है, अतः सभी सैमसोनाइट एसोसिएट्स से अपेक्षित होगा कि वे इस नीति के अनुपालन की अभिस्वीकृति, अभिस्वीकृति-पत्र में दें जैसा उनसे आचार-संहिता के बारे में अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त, सैमसोनाइट, कुछ सैमसोनाइट एसोसिएट्स से इस नीति के आवधिक अनुपालन की अभिस्वीकृति देने के लिए कह सकता है, और इस नीति की आवश्यकताओं के अनुसार, कुछ सैमसोनाइट एसोसिएट्स को अतिरिक्त प्रशिक्षण के लिए भेजा जा सकता है।

अंत में, एफ़सीपीए और यू.के. ब्राइबरी ऐक्ट की आवश्यकताएँ इस नीति के परिशिष्ट में वर्णित हैं। परिशिष्ट इस नीति का एक महत्त्वपूर्ण भाग है और सभी सैमसोनाइट एसोसिएट्स इसका अध्ययन अवश्य करें और इसे समझें। प्रश्न आपके क्षेत्रीय कानूनी विभाग अथवा सैमसोनाइट के जनरल काउनसेल को भेजे जा सकते हैं।

परिशिष्ट

1. एफ़सीपीए की मूल आवश्यकताएँ

1.1 प्रावधान

एफ़सीपीए दो प्रमुख अनुभागों में विभाजित है - रिश्वतखोरी विरोधी प्रावधान और रिकॉर्ड रखने संबंधी प्रावधान।

1.1.1. रिश्वतखोरी विरोधी प्रावधान

एफ़सीपीए के रिश्वतखोरी विरोधी प्रावधान किसी भी मूल्यवान वस्तु, किसी विदेशी अधिकारी को कारोबार प्राप्त करने या इसे बनाए रखने के लिए या अनुचित लाभ लेने हेतु देने, पेशकश करने या देने का वादा करने को ग़ैर-कानूनी मानता है। एफ़सीपीए और यह नीति दोनों ही इसे आवश्यक मानती हैं कि यह शर्तें स्पष्ट रूप से व्यक्त की जानी चाहिए। तथापि ऐसे बहुत से परिदृश्य हैं जो अनुचित गतिविधि का जोखिम प्रस्तुत करते हैं, सूचक उदाहरणों में ऐसे परिदृश्य शामिल हैं जैसे कि संभावित अनुबंध पर बातचीत या विदेशी सरकार या संस्था द्वारा निवेश या विदेश में कारोबारी गतिविधियाँ करने के लिए, एक विदेशी कंपनी में स्वामित्व हित की खरीदारी या प्रबंधन को शामिल करते हुए, सरकारी अधिकारी से अनुमति माँगना। ऐसी परिस्थितियाँ कम ही होती हैं जहाँ विदेशी अधिकारियों को, एफ़सीपीए का अनुपालन करते हुए भुगतान किया जाए। इन परिस्थितियों में “सुविधा भुगतान” शामिल होते हैं, जो कि सापेक्ष रूप से अवास्तविक होते हैं और सामान्य सरकारी प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने या इसमें तेज़ी लाने के लिए किए जाते हैं। इस निष्कर्ष से पहले कि यह भुगतान स्वीकृति योग्य है क्योंकि यह एक सुविधा भुगतान है, कृपया अपने क्षेत्र के कानूनी विभाग या सैमसोनाइट के जनरल काउनसेल से परामर्श लें।

इसके अतिरिक्त, विदेशी अधिकारियों को अनुचित सीधे भुगतान करने से रोकने के लिए, एफ़सीपीए तथा यह नीति, इस संज्ञान के साथ कि राशि या उत्पाद अनुचित उद्देश्य के लिए विदेशी अधिकारियों को दे दिया जाएगा, तृतीय पक्षों को किए जाने वाले भुगतानों को निषिद्ध करती करती है। इस नीति के उद्देश्य के लिए, पद “भुगतान” में, कोई भी उपहार, प्रस्ताव या किसी विदेशी अधिकारी को कोई भी कीमती वस्तु,

कारोबार प्राप्त करने या इसे बनाए रखने के लिए या अनुचित लाभ लेने हेतु देने का वादा करना, शामिल है।

एफ़सीपीए द्वारा विदेशी अधिकारियों के भुगतानों पर लगाई गई कड़ी पाबंदियों के कारण, सैमसोनाइट की नीति है कि कोई भी सैमसोनाइट एसोसिएट्स इस नीति में बताए गए अनुसार के अतिरिक्त, किसी भी उपहार, प्रस्ताव या किसी विदेशी अधिकारी को कोई भी कीमती वस्तु प्रदान नहीं करेगा।

1.1.2. रिकॉर्ड रखने के बारे में प्रावधान

रिकॉर्ड रखने के बारे में एफ़सीपीए के प्रावधानों में आवश्यक है कि कंपनियां सटीक वित्तीय रिकॉर्ड रखें जिसमें सभी लेन-देनों और परिसंपत्तियों के प्रबंध का यथोचित विवरण हो। रिकॉर्ड रखने के बारे में एफ़सीपीए के प्रावधान यह सुनिश्चित करने हेतु बनाए गए हैं कि सभी भुगतान, वित्तीय बहियों में ठीक प्रकार से दर्शाए गए हैं और यह कि सभी भुगतान उचित रूप से प्राधिकृत किए गए हैं। इस प्रकार, एफ़सीपीए, वित्तीय रिकॉर्ड में किसी लेन-देन के ग़लत वर्णन या न लिए जाने का तथा वित्तीय बहियों में लेन-देन के ग़लत वर्णन या न लिए जाने के परिणामस्वरूप नियंत्रण की असफलता का निषेध करता है। अधिनियम के इस अंश के लिए सभी भुगतानों और खर्चों का विस्तृत, सटीक विवरण रखना अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।

जबकि सैमसोनाइट, एफ़सीपीए के रिकॉर्ड रखने के प्रावधानों के तकनीकी रूप से अधीन नहीं हैं, सैमसोनाइट इन मानकों का अनुपालन करने हेतु स्वैच्छिक रूप से प्रतिबध्द है।

2. यू.के. ब्राइबरी ऐक्ट की मूल आवश्यकताएँ

2.1. प्रावधान

यू. के. ब्राइबरी ऐक्ट चार अलग-अलग अपराधों को गैर-कानूनी घोषित करता है:

- किसी संबद्ध कार्य या गतिविधि के अनुचित निष्पादन को प्रवृत्त करने या पुरस्कृत करने के इरादे से किसी व्यक्ति को प्रस्ताव देना, वादा करना या “वित्तीय या अन्य लाभ” पहुँचाना;
- इस इरादे से कि एक संबद्ध कार्य या गतिविधि अनुचित रूप से निष्पादित हो, अनुरोध करना, प्राप्त करने हेतु सहमत होना या “वित्तीय या अन्य लाभ” को स्वीकार करना;
- कारोबार प्राप्त करने या कारोबार प्रबंधन में लाभ लेने के इरादे से, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, एक “विदेशी शासकीय अधिकारी” को प्रस्ताव देना,वादा करना या “वित्तीय या अन्य लाभ” पहुँचाना;

- वाणिज्यिक संगठन हेतु कारोबार या कारोबारी लाभ प्राप्त करने के इरादे के साथ रिश्वत देने से एक "संबंधित व्यक्ति" को रोक पाने में असफल होना।

जैसा पहले कहा है कि, यू.के. ब्राइबरी ऐक्ट के अंतर्गत निषिद्ध आचरण एफ़सीपीए के अंतर्गत निषिद्ध आचरण के समान हैं, किंतु तीन प्रकार से एफ़सीपीए की तुलना में अधिक व्यापक हैं। पहला, सबसे महत्त्वपूर्ण, अधिनियम किसी नए कड़े उत्तरदायी अपराधिक अपराध पर लागू होता है जो कि किसी भी उस कंपनी के बारे में है जो यू.के. से संबद्ध है जो "संबंधित व्यक्ति" को (कंपनी की ओर से सेवाएँ देने वाला कोई भी) रिश्वत देने से रोकने में असफल रहता है। उत्तरदायित्व का एकमात्र बचाव है कि कंपनी यह साबित कर सकती है कि इसके पास रिश्वतखोरी को रोकने के लिए "पर्याप्त पद्यतियाँ" मौजूद हैं। दूसरा, अधिनियम में "सुविधा भुगतानों" के लिए कोई भी अपवाद नहीं दिया गया है, जो सरकारी कार्य को सुविधाजनक बनाने या उसमें तेज़ी लाने के लिए सापेक्ष रूप से अवास्तविक भुगतान किए जाते हैं। तीसरा, एफ़सीपीए के विपरीत, अधिनियम रिश्वतखोरी को "पूर्णतः वाणिज्यिक" के रूप में गैर-कानूनी घोषित करता है अर्थात सभी व्यक्तियों की रिश्वत लेना निषिद्ध है।

19 सितम्बर 2013 को सैमसोनाइट इंटरनैशनल एस.ए. के निदेशक बोर्ड द्वारा स्वीकृत